

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15347/2025

Ajay Bhardwaj S/o Shri Rajesh Bhardwaj, Aged About 38 Years,  
R/o C-402, Krishna Poultry Farm, Chhota Akhada, Brahampuri,  
Police Station Karni Vihar, Jaipur. (At Present Confined In Central  
Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 488/2026

Sangeeta Kadwasara Alias Bhoomi D/o Shri Dharamveer Singh,  
Aged About 51 Years, R/o Natiol Choti, Hamirwas District Churu  
Presently D-9, Rupali Enclave, Karala, Police Station Kanjhawala,  
Delhi. (Presently Accused Petitioner Is Confined In Mahila Jail  
Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

---

For Petitioner(s) : Mr. Swadeep Singh Hora, Adv.  
Mr. Suresh Khileri, Adv.  
Mr. Vedant Sharma, Adv.  
Mr. Shivam Sharma, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP  
Mr. Dharma Ram Gila, Addl. S.P. SOG

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**  
**Order**

1.	<b>Arguments Concluded On:</b>	<b>24/02/2026</b>
2.	<b>Judgment Reserved On:</b>	<b>24/02/2026</b>
3.	<b>Full Judgment/Operative Part Pronounced:</b>	<b>Full Judgment</b>
4.	<b>Pronounced On:</b>	<b>09/03/2026</b>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना स्पेशल पुलिस स्टेशन (एस.ओ.

जी), एटीएस एवं एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी भारतीय दंड संहिता व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का ओपीजेएस विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं रहा है और न ही वह उक्त विश्वविद्यालय का पदाधिकारी रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी फर्जी दस्तावेज किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त फर्जी दस्तावेजों का असल के रूप में प्रयोग में लेने का भी उस पर कोई आरोप नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है उसके द्वारा न तो कोई फर्जी डिग्री, मार्कशीट बनाई गई है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। घटना की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है। सहअभियुक्तगण परमजीत सिंह, मन्दीप कुमार, प्रदीप कुमार, सुमन भारी का जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है व अन्य सहअभियुक्तगण सरिता कडवासरा, राकेश कुमार व जितेन्द्र यादव का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थिया/अभियुक्ता संगीता कडवासरा उर्फ भूमि के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता ओपीजेएस विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक अकाउंटेंट के पद पर रही थी, लेकिन उसके द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया गया। उसने न तो

किसी दस्तावेज की कूटरचना की और न ही कोई जालसाजी की। उसके द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में कोई डिग्री जारी नहीं की गई है और न किसी अभ्यर्थी से कोई राशि प्राप्त की गई। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थिया/अभियुक्ता दिनांक 22.08.2025 से अभिरक्षा में चल रही है। उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है। सहअभियुक्तगण परमजीत सिंह, मन्दीप कुमार, प्रदीप कुमार, सुमन भारी का जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है व अन्य सहअभियुक्तगण सरिता कडवासरा, राकेश कुमार व जितेन्द्र यादव का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थिया/अभियुक्ता महिला है। घटना की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज व प्रार्थिया/अभियुक्ता संगीता कडवासरा द्वारा एक अंतर्राज्यीय संगठित गैंग का हिस्सा बनकर आपराधिक कृत्य किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश हो चुका है। जेएस विश्वविद्यालय के प्रशासक/संचालक से अभियुक्त अजय भारद्वाज द्वारा जिस मोबाईल से दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 23.02.2023 तक बात की है उसके खाते में प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज द्वारा पैसे जमा कराए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज ने पूर्व तिथि में विश्वविद्यालय से डिग्रियां बनवाकर परीक्षार्थियों को बीपीएड, बीएड, पीटीआई और बीएससी की फर्जी डिग्रियां जारी करवाकर, उक्त समस्त कार्य अपने कंप्यूटर में ई-मेल आईडी से किया। प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज ने जेएस विश्वविद्यालय के संचालक/चांसलर व सहअभियुक्त सुकेश कुमार को जयपुर के दूदू में 51 बीघा कृषि भूमि दिलवाई। प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज के कब्जे से भारी मात्रा में पूर्व तिथि में जारी अंकतालिकाएं तथा दस्तावेज इत्यादि मिले हैं। काफी अंकतालिकाएं उसके द्वारा नष्ट कर दी गईं। उसके बैंक खाते में भारी

मात्रा में लेन-देन पाए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक कृत्य के कारण से योग्य उम्मीदवारों का प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं हो पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201 व 120-बी भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध वर्ष 2023 में 1 व वर्ष 2025 में 2 समान प्रकृति के प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक कृत्य जमानत पर रिहा हो चुके सहअभियुक्तगण के आपराधिक कृत्यों से भिन्न हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता संगीता कडवासरा उर्फ भूमि के विरुद्ध ओपीजेएस विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर रहते हुए काफी अधिक मात्रा में कुछ कोर्सेज बिना मान्यता के व कुछ कोर्सेज मान्यता से अधिक सीटों पर मोटी रकम लेकर छात्रों को प्रवेश दिलाने और फर्जी डिग्रियां पूर्व तिथि में जारी कर उसके एवज में राशि प्राप्त करने के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। प्रार्थिया/अभियुक्ता ओपीजेएस विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कैमरों के एक्सेस स्वयं के आधिपत्य में रखकर संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी रखती थी जो कि अनुसंधान के दौरान प्रार्थिया/अभियुक्ता के मोबाईल फोन से सामने आए हैं। यदि उसकी जमानत याचिका स्वीकार की गई तो उसके द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की प्रबल संभावना रहेगी। प्रार्थिया/अभियुक्ता का प्रकरण अन्य सहअभियुक्तगण से जिनका जमानत प्रार्थना-पत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है से भिन्न है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दंड संहिता व 66डी आईटी एक्ट में प्रमाणित पाए हैं। ओपीजेएस विश्वविद्यालय में कार्यरत अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न कोर्सेज की करीबन 43000 डिग्रियां जारी की गईं। उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कुल 930 एग्रीकल्चर एवं वेटेनेरी की डिग्रियां जारी की गईं, परंतु कृषि संकाय की मान्यता विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं थी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अधिकांश कोर्सेज की डिग्रियां/अंकतालिकाएं, मान्यता प्राप्त छात्रों की संख्या से अधिक जारी कर दी। अभियुक्तगण ने इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2019 में आगजनी की घटना करके विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड नष्ट करने का प्रयास भी किया। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी प्रेमराम ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, 2022 दी थी, परंतु उसका चयन शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर नहीं हुआ तो उसको जानकारी हुई कि कई चयनित अभ्यर्थियों ने बीपीएड की फर्जी डिग्रियां प्राप्त कर, अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर व उक्त परीक्षा का प्रश्न-पत्र परीक्षा से पूर्व पढ़कर परीक्षा दी तथा वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर चयनित हुए। इस पर परिवादी ने सहअभियुक्त सुभाष पुनिया नामक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने परिवादी को पूर्व तिथि में 2,00,000/- रुपये में फर्जी बीपीएड डिग्री दिलवाने का वादा किया। इस कार्य हेतु परिवादी ने सहअभियुक्त सुभाष पुनिया को रुपये दिए और इस संबंध में फर्जी डिग्रियां/अंकतालिकाएं जारी करने के कारोबार के संबंध में घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई है।

प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज पर यह आरोप है कि उसने अपने साथी पवन सिंह चौहान के साथ मिलकर जयपुर में आईटी ट्रम्प एजुकेशन के नाम से संस्था बनाकर उसके जरिए दलाल की भूमिका निभाते हुए जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर-प्रदेश व अन्य विश्वविद्यालयों के संचालक/प्रशासन से मिलीभगत कर एक अंतर्राज्यीय संगठित गैंग का हिस्सा बनकर विभिन्न कोर्सेज की फर्जी तरीके से पूर्व तिथि में डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध कराकर सदोष लाभ प्राप्त किया और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बेरोजगार युवाओं को सदोष हानि पहुंचाई है।

प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज के निवास स्थान से पुलिस ने पूर्व तिथि की फर्जी डिग्रियां व अन्य दस्तावेज जब्त किए, जिनका विस्तृत उल्लेख केस डायरी में आया है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि जब्त किए गए दस्तावेज बीपीएड कोर्स की पूर्व तिथि की अंकतालिकाएं, ट्रस्ट डीड व अन्य दस्तावेज थे। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, 2022 में जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ उन छात्रों से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अंकतालिकाएं वापस लेकर नष्ट कर दी व कुछ अंकतालिकाएं नष्ट करने हेतु अपने पास रख ली। प्रार्थी/अभियुक्त अजय भारद्वाज ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद में वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तक दलाल के रूप में कार्य करते हुए पूर्व तिथि में विभिन्न कोर्सेज की फर्जी डिग्रियां/अंकतालिकाएं जारी कर उसके एवज में मोटी रकम प्राप्त की। उसने फर्जी तरीके से पूर्व तिथि में छात्रों को डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध करवाई यह तथ्य भी आईटी ट्रम्प एजुकेशन की ओपन की गई ई-मेल आईडी व उनके टेक आउट डाटा के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते के स्टेटमेंट में भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन होने के तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने आए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा फर्जी डिग्रियों को उपलब्ध करवाने के अवैध धंधे में उपयोग में ली गई तीन ई-मेल आईडी पर मौजूद डाटा में पूर्व तिथि में विभिन्न कोर्सेज जैसे बीए, बीएड, बीपीएड, लाइब्रेरियन की डिग्रियां/अंकतालिकाओं के संबंध में कई सैंकड़ों ई-मेल अनुसंधान के दौरान प्राप्त हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के समान तीन अन्य आपराधिक प्रकरण धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं सहअभियुक्तगण जिनके जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जा चुके हैं उनके तथ्य, परिस्थितियों व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका सहअभियुक्तगण के समान हो यह स्पष्ट नहीं हुआ है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता संगीता कडवासरा उर्फ भूमि का वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक ओपीजेएस विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर रहते हुए उक्त

विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से संचालन किया जाना व अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर काफी अधिक मात्रा में कुछ कोर्सेज की बिना मान्यता व कुछ कोर्सेज की मान्यता से अधिक सीटों पर मोटी रकम लेकर छात्रों को प्रवेश दिया जाकर तथा पूर्व तिथि में डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध कराया जाना अनुसंधान में सामने आया है, जो ओपीजेएस विश्वविद्यालय की वेबसाइट व सॉफ्टवेयर अपडेशन का कार्य करने वाले रईस कुमार की ई-मेल आईडी और व्हाट्सएप चैटिंग में मौजूद डाटा से अनुसंधान के दौरान स्पष्ट हुआ है। उक्त डाटा के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न कोर्सेज की करीब 43000 डिग्रियां/अंकतालिकाएं जारी की गईं। कृषि संकाय की मान्यता विश्वविद्यालय को नहीं थी तो भी उसकी डिग्रियां/अंकतालिकाएं जारी की गईं। अधिकांश कोर्सेज से मान्यता से कई गुना ज्यादा डिग्रियां/अंकतालिकाएं जारी की गईं। उक्त डाटा प्रवीण सिका द्वारा प्रार्थिया/अभियुक्ता के कहने पर रईस सांगवान को अपनी ई-मेल आईडी से भेजे इस तथ्य को प्रवीण सिका ने अपने कथन में कहा है। यह तथ्य रईस सांगवान के मोबाईल फोन में मौजूद प्रार्थिया/अभियुक्ता के व्हाट्सएप चैटिंग से भी स्पष्ट हुआ है। प्रार्थिया/अभियुक्ता का ओपीजेएस विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कैमरों पर एक्सेस था वह संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी रखती थी उसके द्वारा अपने साथी रमन नांदल के साथ मिलकर दलालों के मार्फत मोटी रकम लेकर काफी छात्रों को विभिन्न कोर्सेज की पूर्व तिथि में फर्जी तरीके से डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध कराई हैं, जो प्रार्थिया/अभियुक्ता के मोबाईल फोन के एफएसएल के बाद रिकवर डाटा के विश्लेषण से अनुसंधान के दौरान स्पष्ट हुआ है। अनुसंधान के दौरान यह भी तथ्य सामने आया है कि कुल 1955 छात्रों को विभिन्न कोर्सेज की पूर्व तिथि में प्रार्थिया/अभियुक्ता ने फर्जी तरीके से डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध कराईं, जो ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरु की वेबसाइट व सॉफ्टवेयर पर डाटा अपडेशन का कार्य करने वाले रईस कुमार उर्फ रईस सांगवान से प्राप्त डाटा का प्रार्थिया/अभियुक्ता की मौजूदगी में विश्लेषण से व प्रार्थिया/अभियुक्ता के मोबाईल फोन के एफएसएल से प्राप्त एक्सट्रैस डाटा से स्पष्ट है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर किस्म के हैं, उन्होंने भारी धनराशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न कोर्सेज की पूर्व तिथि में डिग्रियां/अंकतालिकाएं उपलब्ध करवाकर सदोष लाभ प्राप्त किया तथा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बेरोजगार युवाओं को सदोष हानि पहुंचाई है। प्रार्थिया/अभियुक्ता दिनांक 22.08.2025 से अभिरक्षा में चल रही है जबकि सहअभियुक्तगण परमजीत सिंह, प्रदीप कुमार दिनांक 10.04.2024 से अभिरक्षा में थे। सहअभियुक्त मंदीप कुमार पति-पत्नी दोनों न्यायिक अभिरक्षा में थे और उनके बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था व सहअभियुक्त सुमन भारी के दो बच्चे थे। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समस्त सहअभियुक्तगण की जमानत याचिका स्वीकार की गई थी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्यों में भूमिका, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध व उनकी अभिरक्षा की अवधि, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. अजय भारद्वाज पुत्र राजेश भारद्वाज, 02. संगीता कडवासरा उर्फ भूमि पुत्री धर्मवीर सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय तीव्र गति से प्रकरण के निस्तारण का प्रयास करें तथा महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करें।

**(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J**